

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Karnal Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
 04/03/2024 17:21 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	384
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/03/2024 Time (समय): 16:34 hrs

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 013 Date and Time (दिनांक और समय): 04/03/2024 16:34 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 110 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): जयकी

(b) Father's Name (पिताका नाम): ईश्वर सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1994

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव छातर, JIND, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव छातर, JIND, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जयभगवान लाईनमैन			1. बिजली विभाग, JIND, HARYANA, INDIA
2	सुरेश जे.ई			1. बिजली विभाग, JIND, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, DSP साहब जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जीन्द। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं जयकी S/o श्री ईश्वर सिंह गाँव छातर का रहने वाला हूँ खेती बाड़ी का काम करता हूँ इसके साथ मैंने अपना होटल गाँव छातर के पास किया हुआ है जिसके लिए मैंने मेरी माँ नन्ही देवी के नाम बिजली का कनेक्शन लेने के लिए दिनांक 20.2.24 को बिजली विभाग के दफ्तर उचाना में आवेदन किया था जिसका एस्टीमेट बनाने के लिए सुरेश JE बिजली विभाग दो बार मेरे होटल पर आया जिसने मुझसे कहा कि यह कनेक्शन लेने के लिए कुछ खर्चा-पानी लगेगा नहीं तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा और मुझसे कहा कि इस काम के लिए आपके गाँव में जयभगवान लाईनमैन से मिल लेना JE के कहने पर मैं जयभगवान लाईनमैन से मिला था। जयभगवान लाईनमैन से मैंने बिजली कनेक्शन बारे में बातचीत की और सुरेश जे.ई. से हुई बातचीत बारे में बताया तो जयभगवान लाईनमैन ने मेरे को कहा कि उसकी जे.ई सुरेश से बात हो गई है जिसने मेरे से बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए अपने लिए व सुरेश जे. ई.के लिए 20,000/- रुपए रिश्त की मांग की। मैंने उसको कहा कि यह रकम ज्यादा है तो उसने मेरे ऊपर दवाब बनाया और धमकी दी की यदि 20,000/- रिश्त नहीं देगा तो ना वह फिल्ट रिपोर्ट करेगा और ना जे.ई सुरेश अस्टीमेट तैयार करेगा। और ना ही बिजली का कनेक्शन जारी होगा। मैंने मजबूरी वश उसको 20,000/- रुपए रिश्त देने की हान कर दी। उसके बाद दिनांक 03.03.2024 को जे.ई. सुरेश मेरे होटल पर आया और मेरे बिजली के कनेक्शन हेतु अस्टीमेट तैयार करने बारे में बताया और कहा कि रिश्त के 20,000/- रुपए जयभगवान लाईनमैन को दे देना, उसकी जयभगवान लाईनमैन से बात हो गई है। जे.ई सुरेश व जयभगवान लाईनमैन आपस में मिलीभगत करके मेरे ऊपर रिश्त लेने का नाजायज दवाब बना रहे हैं यदि मैं उनको रिश्त नहीं दूंगा तो वह मेरा बिजली कनेक्शन नहीं देंगे। आज जयभगवान लाईनमैन ने सुरेश जे.ई के कहने पर मेरे को 20000/- रिश्त लेकर बुलाया है। इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। रिश्त की मांग करने बारे में रिकॉर्डिंग की है जो आपको बाद में पेश कर दूंगा।

प्रार्थी हस्ता जयकी जयकी S/o श्री ईश्वर सिंह, गाँव छातर जीन्द। दिनांक 4.3.24 MB 9991612928 9996653136

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 4.3.24 को मन उप पुलिस अधीक्षक हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र जीन्द हूँ कि शिकायतकर्ता जयकी उर्फ जोनी उपरोक्त ने हाजिर थाना आकर एक हस्तलिखित दरखास्त बरखिलाफ जयभगवान लाईनमैन व सुरेश JE बिजली विभाग मन DSP को पेश की जिस पर उच्चाधिकारियों से बजरीया टेलीफोन सम्पर्क करके हालात रेड बताए। जिस पर उच्चाधिकारियों ने तुरन्त रेड कार्यवाही करने बारे कहा। मन DSP द्वारा स्वतंत्र गवाह नियुक्त करने हेतु आग्रह करने पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल ने श्री प्रतीक नायब तहसीलदार जुलाना को रेड की कार्यवाही के लिए बतौर स्वतंत्र गवाह नियुक्त किया और आदेशों को व्हाट्सअप के माध्यम से मेरे पास भेजा जिसका प्रिन्ट निकालकर रखा गया और प्रतीक NIT जुलाना को बजरीया टेलीफोन कार्यालय ACB जीन्द पहुंचने बारे सूचित किया गया। दरखास्त मजबुन से सरेदस्त जुर्म 7,7ए पी.सी.एक्ट 1988 व 384,120 बी. भा.द.स. का होना पाया जाने पर तहरीर मुकदमा दर्ज करवाने हेतु बदस्त सि० कुलदीप कुमार 1007/Jind के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल भेजी जा रही है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित किया जाए तथा मुकदमा की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भेजी जावे। तफतीशी बैंग लैपटाप, प्रिंटर हमरा है। मन उप पुलिस अधीक्षक दरइन्तजार स्वतंत्र गवाह प्रतीक नायब तहसीलदार जुलाना का हूँ।

अज:- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द। Sd/-Kamaljeet उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (ह०) उपकेन्द्र जीन्द। दिनांक 4.3.24 At 12.45 PM

अज थाना:- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी मुकदमा न० 07 दिनांक 04/03/2024 धारा 7,7ए पी.सी.एक्ट 1988 व 384,120 बी. भा.द.स. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब जीन्द को बजरिया/ई-मेल सूचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा सि० कुलदीप कुमार 1007/Jind के हवाले की जाकर रवाना निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सचिन न०.228/RR की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Kamaljeet Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
No. (सं.): PI to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sachin

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 228/RR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				Is pox pitted: Yes
2	Male	1978				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)